

रिक्त निर्देशक (10100) 2080
डिप्टी जर्नल (आयोग)
प्रयागराज।

सेवा में

सचिव/प्रबन्धक, प्राधिकृत नियंत्रक
AMAR NATH MISHRA PG COLLEGE BALLIA

पत्रांक: डिप्टी जर्नल (आयोग)/ 687/2019-20

दिनांक 28/07/2020

विषय - विज्ञापन संख्या-47 में विज्ञापित पद असिस्टेंट प्रोफेसर GEOGRAPHY के पद के प्रति आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु संस्तुति।

श्रीमान,

कृपया अपने महाविद्यालय AMAR NATH MISHRA PG COLLEGE BALLIA के असिस्टेंट प्रोफेसर GEOGRAPHY (संख्या 15600-30100) पद के 6000 के संचित 7^{वें} तैयार आयोग के अनुसार वे पेट्रिकर सेवल: 10 रु 57700/- में रिक्त पद का संदर्भ ले जो डॉ० NEWLY CREATED की सेवानियुक्ति/सूच्य/प्रमाणपत्र/एनएच स्थापना के प्रत्यक्ष रूप रिक्त रूप में उपलब्ध है।

2- उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 (पदासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त पद के लिए आयोग ने अपने पत्र संख्या-उ०शि० आयोग/0-775/36/1286/19-20 दिनांक 09/01/2020 द्वारा जिन अभ्यर्थियों का चयन आसन व्यवस्था हेतु संस्तुत किया है उनमें से आपके महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर GEOGRAPHY के पद पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधित) अधिनियम वर्ष 1980 की धारा 12-2 के अंतर्गत आपके द्वारा उपरोक्त अधिनियम हेतु प्रेषित पद के प्रति धारा 13(3) के प्राविधानों के अंतर्गत निम्नांकित अभ्यर्थी का नाम प्रेषित किया जाता है।

नाम AJEET KUMAR YADAV
पता VILL KAARMBER MATHAI BALLIA

श्रेणी -OBC चयन श्रेणी GENERAL
पैरिड सूची में क्रमांक 23

उक्त संस्तुत अभ्यर्थी के आवेदन की छायाप्रति समस्त संलग्नकों सहित इस पत्र के साथ संलग्न है।

3- जत: सूत्रकार आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (पदा संशोधित) अधिनियम की धारा 14(1) के प्राविधानों के अनुसार जस इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गयी संस्तुति-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने की तिथि जो भी पहले हो, से दिनांकतम 30 दिन का भीतर उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश पंजीकृत डाक से भेजे तथा आदेश की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रस्तुत/निवेदन करें। इस संबंध में यह आवश्यक है कि पदभार पड़ना करने के लिए संबंधित अभ्यर्थी को पर्याप्त समय (कम से कम 21 दिन) अवश्य दिया जाए।

4- संबंधित अभ्यर्थी, प्रबन्धक द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम (पदा संशोधित) 19 की धारा 15(1) के अन्तर्गत उपबन्धित समायोजन निर्देशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को अनिवार्यत: समुचित करेगा।

5- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्देशक द्वारा संस्तुत उक्त अभ्यर्थी को समायोजन यदि नियुक्ति पत्र प्रबन्धक द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है तो प्रबन्धक को बिना पूर्व सूचना दिये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम- 1980 की धारा 15(1), (2), (3) के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (पदा संशोधित) की धारा 57 के अन्तर्गत प्रबन्धक के विरुद्ध धारा- 58 की कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति कर दी जायेगी, परिणामत: शासन द्वारा प्रबन्धक अवकाशित तार प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिने जाने पर इसका समुचित उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धक पर होगा।

6- यदि किसी कारणों से अभ्यर्थी द्वारा अपना पदभार विधायित अथवा में ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त करने से पूर्व निर्देशक को एक सलाह के अन्तर्ग विशेष बाहक के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए नियुक्ति आदेश निरस्त करने की अनुमति निर्देशक से अवश्य प्राप्त कर ली जाए। जिससे आपकी अन्य अभ्यर्थी को लाभ संस्तुत किया जा सके। यदि उक्त पद के प्रति नियुक्ति के संबंध में मा० न्यायालय का कोई स्थगन अटॉरिस/अल्तिम साधकारी आदेश हो तो नियुक्ति के पूर्व निर्देशक को अवगत करवाया जाय अन्यथा की स्थिति में किसी प्रतिनियुक्त कार्यवाही के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

7- संस्तुत अभ्यर्थी की आसन व्यवस्था किसी भी दृष्टिकोण में बिना अपरिहार्य कारणों के अपरिहार्य होगी।

8- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात्, प्रभार प्रमाण-पत्र उच्च शिक्षा निर्देशक, उ०प्र०, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें।

9- प्रबन्धक अन्य रिक्त/हार् एंड अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों की आसन व्यवस्था करते समय नियुक्ति पत्र में शासन/देश संख्या- 22/5/1982 का 2 दिनांक 27 जुलाई 1994 में दी गयी निम्न व्यवस्था का नियुक्ति आदेश में स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाय।

10- निरक्षरता एवं भ्रूणवत् विषय का परीक्षण मा० उच्च न्यायालय में कोशित वाद ए संख्या- 17123/2019, वाद ए संख्या- 15950/2019 एवं वाद ए संख्या- 14992/2019 में सारित जतिन आदेशों के अधीन रहेगा।

*यदि नियुक्ति, अनिश्चित है तथा अति/अवकाशित प्रमाण पत्र प्रेषित माध्यमों से सत्यापित किया जाने के अधीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अन्य विद्यमान एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सेवा को संलग्न हो के कारण में डाक सूत्र है तो बिना किसी कारण बताये तथा सूत्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्राचीन रूप संशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही, जो की जा सकती है के अंतर्ग पूर्णतः के लिए सेवाएं संलग्न कर दी जायेगी।

कृपया पत्र की प्रतिलिपि स्विकार कर निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुना (MOPRO)

दूरभाष नं: 07542-251639, 251641

E-Mail - hegpgcguna@mp.gov.in
www.mp.gov.in/HigherEducation/guna

क्र. 1976/19

दिनांक 24.12.19

प्रति,

अवर सचिव,
MOPRO शासन, उच्च शिक्षा विभाग-मंत्रालय,
वल्लभ मदन, भोपाल (MOPRO)

विषय - श्री नीरज मोहन गुप्ता, सहायक प्राध्यापक रसायनशास्त्र द्वारा पदभार ग्रहण करने की सूचना।
संदर्भ - आपका आदेश क्रमांक एफ. 1-85/2019/38/1 भोपाल दिनांक 16.12.19

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि, संदर्भित आदेश की सूची में सरल क्रमांक 42 के 48/2019 पर दर्ज श्री नीरज मोहन गुप्ता की नियुक्ति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना, जिला गुना में सहायक प्राध्यापक रसायनशास्त्र के पद पर की गई है। आदेश के परिपालन में श्री नीरज मोहन गुप्ता द्वारा आज दिनांक 24.12.19 को पूर्वानुष्ठान में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है।

अतः उपस्थिति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(डॉ. बी. के. तिवारी)
प्रभारी प्राचार्य
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना
Govt. College Guna (M.P.)

गुना दिनांक 24.12.19

पृ.क्र. / 19
प्रतिलिपि -

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
 2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
 3. महालेखाकार, MOPRO ग्वालियर।
 4. सचिव, लोकसेवा आयोग, इंदौर।
 5. आयुक्त, उच्च शिक्षा, संचालनालय, भोपाल MOPRO।
 6. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर।
 7. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, संचालनालय MOPRO भोपाल।
 8. संभागीय फिकरसा अधिकारी, ग्वालियर।
 9. कोषालय अधिकारी, जिला गुना।
 10. लेखापाल, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना।
 11. श्री नीरज मोहन गुप्ता, सहायक प्राध्यापक रसायनशास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना।
 12. व्यक्तिगत नस्ती संबंधित अधिकारी।
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ. बी. के. तिवारी)
प्रभारी प्राचार्य
शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना
Govt. College Guna (M.P.)

Private & Confidential

24th Mar 2023

Raghuvendra Kumar Prajapati
Employee ID: 0505
Mohalla Tech Pvt Ltd

Increment Letter

Dear Raghuvendra,

We are pleased to revise your annual base pay to **INR. 535,600/-**. In addition, you will be eligible for an annual performance bonus of **INR. 53,560/-** which will be paid out along with the Annual Performance Cycle. Your revised total annual remuneration stands at **INR. 641,699/-** w.e.f 1-Apr-23 (please find the detailed salary in Annexure-1).


Additionally, you will be eligible for **2 ESOP units** with grant date as 1-Apr-23 and vesting over 4 years from date of grant.

We take this opportunity to congratulate you and express our appreciation for your valuable contribution in achieving the company objectives. We are confident that you will continue the good work in the same spirit of commitment and sincerity and grow with our organization.

All the other terms and conditions of your employment remain unchanged.

We look forward to your valuable contributions and wish you the very best.

Sincerely,
Mohalla Tech Private Limited



Ankush Sachdeva
CEO

MOHALLA TECH PRIVATE LIMITED

No.2, 26, 27 and 3, Sona Towers, 1st Floor, Krishna Nagar Industrial Area, Hosur Main Road, Bangalore: 560029.

11

The Institute of Chartered Accountants of India



Certificate of Membership

This is to Certify that

Pranshul Nigam

Son of Tarun Kumar Nigam

Membership No. 446025 of Kanyur

was admitted as an Associate of the Institute

on the Thirtieth day of September, 2019 and

he is entitled to use the letters A.C.A. after his name.

Given by the Council

under the Common Seal of


the Institute of Chartered Accountants of India,

this Thirty first day of October, 2019.



Pranshul Nigam

446025



(Signature)
(RAKESH SEHGAL)

Acting Secretary

(Signature)
(PRAFULLA P CHHAJED)

President

